आशीष खेतान
उपाध्यक्ष

**Ashish Khetan**
Vice Chairperson

दिल्ली संवाद एवं विकास आयोग
**DIALOGUE AND DEVELOPMENT COMMISSION OF DELHI**
GOVT. OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
33, Sham Nath Marg, Delhi-110054
Phone : 011-23392240, 23811123,
E-mail: vcddc.delhi@gmail.com, vcddc.delhi@gov.in

D.O. No.

दिनांक 19.05.2016
Date

आदरणीय श्री वेंकैया नायडू

इस पत्र के जरिये मैं कठपुतली कॉलोनी जे.जे. बस्ती में रहने वाले लोगों की दयनीय दशा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वैसे आपको ये जरूर पता होगा कि डीडीए ने इस बस्ती के इन-सीटू पुनर्विकास और पुनर्वास के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया है और सात साल से ज्यादा वक्त पहले एक प्राइवेट बिल्डर को ये प्रोजेक्ट सौंपा जा चुका है।

हालांकि तब से लेकर अब तक इस बस्ती में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के मामले में नाममात्र ही प्रगति हुई है। प्रोजेक्ट सौंपे जाने के बाद से ये बस्ती पुनर्वास की प्रक्रिया में है, लेकिन सिर्फ कागज़ों पर, इसकी वजह से बस्ती में इन-सीटू सुधार के काम भी ठप्प पड़े हुए हैं।

परिणामस्वरूप, बस्ती के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। सैकड़ों परिवार, जिनमें नवजात शिशु, बुजुर्ग और महिलाएं शामिल हैं, ऐसे हालात में जिंदगी बसर कर रहे हैं जो इंसानों के लिहाज से कतई उचित नहीं है।

नालियां खुली हैं जिनमें सीवेज ओवरफ्लो हो रहा है, बिजली के तार बहुत कम ऊंचाई पर लटके हुए हैं जो बेहद खतरनाक हैं, कूड़े-करकट और मल-मूत्र की बदबू पूरे इलाके में फैली रहती है, इन सबसे ये कॉलोनी नरक में तब्दील हो गई है। ऐसे में अब हर हाल में हमें इस मुद्दे को सुलझाना होगा और जल्द से जल्द इस बस्ती के पुनर्वास के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे।

2. आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली में झुग्गी बस्तियों पुनर्वास के लिए दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड (DUSIB) के जरिये एक नीति 'डेल्ही स्लम एंड जे.जे. रिहैबिलिटेशन एंड रिलोकेशन पॉलिसी, 2015' बनाई है जिसकी एक प्रति **एनेक्सचर-ए** के रूप संलग्न है।

इसी दौरान, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर डूसिब को एक प्रोटोकॉल तैयार करने का निर्देश दिया जिसमें झुग्गियों और जेजे बस्तियों को हटाने से पहले, हटाने की कार्रवाई के दौरान और हटाने के बाद के कदमों का जिक्र होगा।

i) DUSIB एक्ट के तहत, कौन-कौन सी झुग्गियां और झुग्गी बस्तियां इन-सीटू इंप्रूवमेंट/डेवलपमेंट एंड रिसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन के योग्य हैं, इसका पता लगाने के लिए सर्वेक्षण की जिम्मेदारी DUSIB की है।

ii) DUSIB एक्ट के तहत दिल्ली में जे.जे. बस्तियों के पुनर्वास और उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करने वैधानिक जिम्मेदारी के साथ DUSIB को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

iv) भविष्य में किसी जे.जे. बस्ती को हटाने संबंधी किसी कार्रवाई में दिल्ली पुलिस सहित सभी एजेंसियों को DUSIB द्वारा तैयार प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।

3. उपरोक्त आदेश का पालन करते हुए DUSIB ने एक विस्तृत प्रोटोकॉल तैयार किया है जिसे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है और उसे माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय को सौंप दिया गया है। इसकी एक प्रति **एनेक्सचर-बी** के रूप में संलग्न है।

4. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, ये अनुरोध है कि नोडल एजेंसी के रूप में DUSIB द्वारा अधिसूचित प्रोटोकॉल और ऊपर बताई गई नीतियों के हिसाब से कठपुतली कॉलोनी जेजे बस्ती के पुनर्वास के संबंध में डीडीए को निर्देश जारी किए जाएं।

5. मैं खुद आपसे मिलकर इस बस्ती के लोगों की संतुष्टि के अनुसार इस मुद्दे को अविलंब सुलझाने पर चर्चा करना चाहता हूं। कृपया जल्द से जल्द अपना समय देने की कृपा करें।

सादर

भवदीय

Ashish Khetan

आशीष खेतान